

पत्र सं०-१३१/धारा-५९/२०२२-२३/वाद अनु०, वाणिज्य कर, दिनांक,

१७ अक्टूबर, २०२२।

(कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश)

मिनिस्ती एस०, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी—

सर्वश्री कदम एडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, डी-१६५ इंदिरा नगर, लखनऊ।

प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक— ०१/२०२२, १४.०७.२०२२

टिन नम्बर—

०९६५२३०३४२७ S

प्रार्थी की ओर से—

कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम २००८ की धारा ५९ के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री कदम एडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, डी-१६५ इंदिरा नगर, लखनऊ के द्वारा दिनांक १४.०७.२०२२ को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम २००८ की धारा ५९ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है:—

1. That the petitioner is registered for trading and fixing of Plastic Sheets on Sign Board of advertisement on Road Sites.
2. That the petitioner purchases Plastic Sheets in name of PVC Flex Sheets @5% and Sell it in the name of PVC Flex Sheets. Which is Taxable @ 4% VAT and 1% SAT as per Notification No. KANI-2-3121/X/19(197) Dt. 24/12/2007 at Serial No.1529.
3. That the petitioner wants to know that its purchases of PVC Flex Sheets is the same goods as Flexible Plain Films, Plates Sheets of Plastic & self-adhesive Tapes as mentioned in Schedule II at Sl. No.21/22/23/24/1513/1529 in the Notification No. KANI-2-3121/X/19(197) Dt. 24/12/2007.

Kindly accept the Application and issue order that the Flexible Plain Films, Plates Sheets of plastic & Self-adhesive plate's sheets and Adhesive tapes and PVC Flex Plastic Sheets are the same items and are taxable @ 5%.

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, २००८ की धारा ५९ (२) के अनुसार,

“कमिशनर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न को, जैसा वह उचित समझे, विनिश्चय करेगा; प्रतिबन्ध यह है कि विनिश्चय (decided) देने के पूर्व कमिशनर स्वविवेकानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी से ऐसी जाँच करने के लिये कह सकता है जिसे वह उस प्रश्न के विनिश्चय के लिये आवश्यक समझे।”

उक्त के क्रम में अपर आयुक्त ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन- द्वितीय, लखनऊ से पत्रांक 529 दिनांक 19.07.2022 द्वारा आख्या मॉगी गयी थी। अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, लखनऊ जोन- द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या 1361 दिनांक 25.08.2022 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि "प्रश्नगत प्रकरण वैट अवधि से संबंधित है तथा प्रश्नगत फर्म के वैट अवधि से संबंधित सभी वर्षों के वादों के तत्समय पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों पर समुचित विचारोपरान्त कर की दर आदि समस्त तथ्यों पर निर्णय लेते हुए अंतिम कर निर्धारण आदेश पूर्व में ही पारित किये जा चुके हैं। अतः प्रश्नगत धारा 59 का प्रार्थना पत्र ग्राह्य नहीं है।"

उक्त आख्या के क्रम में नैसर्गिक न्याय के हित में आवेदनकर्ता फर्म को तामीली से 07 कार्यदिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना प्रेषित की गयी। अभिलेखानुसार सूचना सम्बन्धित फर्म पर दिनांक 17.09.2022 को तामील है। दिनांक 30.09.2022 तक प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया।

मेरे द्वारा धारा 59 के प्रार्थना पत्र, अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया।

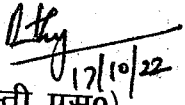
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 59 (4) के अनुसार,

"कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन अवधारण के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा।"

उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राह्य न होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त की प्रति अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय लखनऊ, कर निर्धारण अधिकारी, प्रार्थी तथा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आई०टी० अनुभाग मुख्यालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक अक्टूबर, 2022


(मिनिस्ती एस०)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।